



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “अमर उजाला, आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश तरुणमित्र न्यूज़, काशीवार्ता,” समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 11.12.2024

दो अवैध निर्माण ध्वस्त कराए

वाराणसी। वीडिए की ओर से मंगलवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में वरुणा किनारे दो अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। सारनाथ वार्ड के वरुणा किनारे नक्खीघाट पर अनवर अहमद और जैनुबुद्दीन ने अवैध निर्माण किया था। दोनों को पहले ही नोटिस दिया गया था। मियाद पूरी होने पर निर्माण ध्वस्त कराया गया। ब्यूरो

आज—दि० 11.12.2024

वरुणा के प्रतिबंधित क्षेत्र में भवन निर्माण पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अपर सचिव के नेतृत्व में वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।

वार्ड - सारनाथ, नक्खीघाट के समीप वरुणा नदी के किनारे लगभग १२०० वर्ग फीट में बाड़ें डीवाल करके टीनशेड लगाया गया था। भवन स्वामी जैनुबुद्दीन लगभग ६०० वर्ग फीट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता, प्रवर्तन दल सहित सुपरवाइजर एवं निकटम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों ने भवन स्वामी से मानचित्र

दिखाने को कहा जिसे भवन स्वामी दिखाने में असफल रहा। इस संबंध में अवर अभियंता ने बताया कि दोनों

निर्माण वरुणा के प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जा रहा था। प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से निर्माण किये गये बाड़ें डीवाल को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करा दिया और



भवन स्वामी को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसा पुनः करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा—दि० 11.12.2024

वीडीए अधिकारी व कर्मचारियों ने मानवाधिकार दिवस पर ली शपथ



वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा इस अवसर पर कर्मचारियों से मानवाधिकारों के सम्मान और संरक्षण में भूमिका निभाने की अपील की गयी। मौके पर अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

वीडीए ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश क्रम में सचिव के नेतृत्व में मंगलवार को विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। सारनाथ वार्ड के थाना-सारनाथ, नक्खीघाट, वरुणा नदी के किनारे अनवर अहमद द्वारा लगभग 1200 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल में बाउण्ड्रीवाल कर लगभग 320 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल में टीन शेड लगाया गया था तथा जैनुबुद्दीन द्वारा लगभग 600 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल में भूतल पर आरसीसी कालम्स का निर्माण किया गया था, उक्त दोनों अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश 04 अक्टूबर 2024 के क्रम में मंगलवार को ध्वस्त किया गया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 11.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

वाराणसी विकास सचिव द्वारा इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पर कर्मचारियों से



पुलकित गर्ग के मानवाधिकारों के सम्मान निदेशानुसार मानवाधिकार और संरक्षण में भूमिका दिवस के अवसर पर निभाने की अपील की सचिव डॉ वेद प्रकाश गयी। मौके पर अपर मिश्रा की अध्यक्षता में सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, प्राधिकरण परिसर में संयुक्त सचिव परमानन्द शपथ ग्रहण समारोह का यादव व कर्मचारीगण आयोजन किया गया छ उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 11.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम की कार्यवाही

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा वरुणा नदी के किनारे

नवखीपाट, वरुणा नदी के किनारे अनवर अहमद द्वारा लगभग 1200 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल में बाण्डूकाल

फीट के भूमि क्षेत्रफल में भूतल पर अवरुद्धीकृत कालम्स का निर्माण किया गया था जिसे आज दिनांक 10/12/2024 को ध्वस्त किया गया छ मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अपर अधिवक्ता विनोद कुमार, प्रवर्तन टोल सहित समस्त सुरक्षाद्वार व पुलिस बल उपस्थित

रहे।उपाध्यक्ष यादव द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट हो खरीदें तथा मार्गचित्र स्वीकृत करावे बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा को विधि में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही सम्पन्नित की गयी।बार्ड-सरनाथ, बाबा-सरनाथ,

का लगभग 320 वर्ग फीट के भूमि क्षेत्रफल में टैन रोड लगाया गया था तथा वैभुषुटीन द्वारा लगभग 600 वर्ग



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 11.12.2024

वरुणा के प्रतिबंधित क्षेत्र में भवन निर्माण पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अपर सचिव के नेतृत्व में वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।

वार्ड - सार नाथ, नक्खीचाट के समीप वरुणा नदी के किनारे लगभग १२०० वर्ग फीट में बाउंड्रीवाल करके टीनशेड लगाया गया था। भवन स्वामी जैनुबुद्दीन लगभग ६०० वर्ग फीट में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता, प्रवर्तन दल सहित सुपरवाइजर एवं निकटम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों ने भवन स्वामी से मानचित्र दिखाने को कहा जिसे भवन स्वामी दिखाने में असफल रहा। इस संबंध में अवर अभियंता ने बताया कि दोनों

निर्माण वरुणा के प्रतिबंधित क्षेत्र में किया जा रहा था। प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से निर्माण किये गये बाउंड्रीवाल को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करा दिया और



भवन स्वामी को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसा पुनः करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

तरुणमित्र न्यूज—दि० 11.12.2024

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दिलाई शपथ



वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा शपथ दिलवाते हुए

तरुणमित्र न्यूज

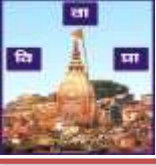
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का

आयोजन किया गया। सचिव द्वारा इस अवसर पर कर्मचारियों से मानवाधिकारों के सम्मान और संरक्षण में भूमिका निभाने का अपील को गयी। मौके पर अपर सचिव डा. गुडकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव व अन्य कर्मचारियों उपस्थित रहे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

काशीवार्ता-दि० 11.12.2024

अवैध निर्माण पर वीडिए का शिकंजा

वाराणसी (काशीवार्ता)। अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने जोन-4 की प्रवर्तन टीम के माध्यम से भेलूपुर वार्ड के कमच्छ क्षेत्र में एक बड़े अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मयंक भार्गव द्वारा मकान संख्या बी-21/17, कमच्छ, निकट राजबंधु स्वीट्स, वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब 22X70 वर्गफीट क्षेत्रफल में जी+2 तल का निर्माण किया गया था। भवन के तीसरे तल पर शटरिंग कार्य और पिलर खड़ा करते हुए सरियों और शटरिंग का काम जारी था। इसके साथ ही भवन से सटे लगभग 25X30 वर्गफीट क्षेत्रफल में भूतल और प्रथम तल की छत डालकर

द्वितीय तल की ढलाई का काम हो रहा था। उपरोक्त अवैध निर्माण पर यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त भवन को सील कर दिया गया। यह कार्यवाही वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आर.के. सिंह और सोनू कुमार की प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में की गई। थाना-भेलूपुर को सीलिंग स्थल की सतत निगरानी के लिए सौंपा गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आम जनमानस से अपील की है कि वे प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कोई भी निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी निगरानी के चलते हुई कमच्छ में सीलिंग की कार्रवाई

